भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1617

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

'शक्ति' नीति के अंतर्गत कोयले का आवंटन

1617. श्रीमती हिमाद्री सिंहः
श्री काली चरण सिंहः
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
डॉ. भोला सिंहः
श्री चिन्तामणि महाराजः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री सतीश कुमार गौतमः
डॉ. लता वानखेड़ेः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला उपयोग में लाने और आवंटन योजना (शक्ति) की संशोधित नीति के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को कोयले के आवंटन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए क्या पहल की जा रही हैं;

(ख) क्या ऊर्जा उत्पादकों के लिए कारोबारी सुगमता में सुधार लाने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट प्रावधान हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त नीति के अंतर्गत लिंकेज विंडो के सरलीकरण से सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा सभी पात्र विद्युत संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): संशोधित शक्ति नीति, 2025 विद्युत क्षेत्र को कोयले का आबंटन करने का एक पारदर्शी तरीका है। यह नीति कोयले के लिए अधिक लचीलापन, व्यापक पात्रता और बेहतर पहुंच प्रदान करके विद्युत क्षेत्र के लिए पूर्ववर्ती कोयला लिंकेज आवंटन नीति को विस्तृत करती है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, दक्षता बढ़ाती है, क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करती है और निर्बाध पिटहेड थर्मल क्षमता की अभिवृद्धि और देश को किफायती विद्युत प्रदान करती है।

(ख), (ग) और (घ): व्यापार की सुगमता को बढ़ाने के लिए, संशोधित शक्ति नीति, 2025 ने पूर्ववर्ती शक्ति नीति, 2017 के तहत कोयला लिंकेज आवंटन के लिए कई विंडोज को केवल दो विंडो में सरलीकृत करके रूपरेखा प्रदान की है, जो निम्नानुसार हैं:

विंडो I: अधिसूचित मूल्य पर केन्द्रीय जेनकोस/राज्यों को कोयला लिंकेज।

विंडो II: अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर सभी जेनको को कोयला लिंकेज।

संशोधित शक्ति नीति, 2025 सभी विद्युत उत्पादकों को स्वामित्व अर्थात केंद्रीय जेनको, राज्य जेनको और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) पर विचार किए बिना पारदर्शी तरीके से कोयला लिंकेज प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

विद्युत क्षेत्र को प्रस्ताव किए गए नए लिंकेज से विद्युत क्षेत्र के लिए कोयले की उपलब्धता में वृद्धि होगी और कोयलाधारी क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के लिए अधिक राजस्व सृजित होगा जिसका उपयोग इन क्षेत्रों और सामान्य स्थानीय आबादी के विकास के लिए किया जा सकता है।

संशोधित शक्ति नीति, 2025 का विवरण कोयला मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.coal.nic.in/sites/default/files/2025-05/20-05-20220a-wn.pdf) पर उपलब्ध है।

(ङ) : विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करना एक सतत प्रक्रिया है। कोयले की आपूर्ति की निरंतर निगरानी कोयला कंपनियों, विद्युत कंपनियों तथा विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल

मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा भी की जाती है जो ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने हेतु नियमित रूप से बैठकें करता है।

इसके अलावा, कोयला आपूर्ति और विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड; सचिव, कोयला मंत्रालय; सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और सचिव, विद्युत मंत्रालय शामिल हैं। सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अध्यक्ष, सीईए को आईएमसी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर विशेष आमंत्रित के रूप में सहयोजित किया जाता है।

*****